न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- रजनी माधीवाल (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :- 1/2025

उनवान मुकदमा

1. अनार्डेग राठौड़ पुत्र स्व. लालजी जाति पटेल उम्र वयस्क निवासी ग्राम ठिकरीया तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. कचरू राठौड़ पुत्र स्व. लालजी जाति पटेल उम्र वयस्क निवासी ठिकरीया तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. गुलाबजी राठौड़ पुत्र स्व. लालजी जाति पटेल उम्र वयस्क निवासी ठिकरीया तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. परतेंग राठौड़ पुत्र स्व. लालजी जाति पटेल उम्र वयस्क निवासी ठिकरीया तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) – प्रार्थीगण

बनाम

1. खेमा पिता वजा जाति भील उम्र वयस्क निवासी जानामेडी तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. परतु पिता हकरिया भगोरा जाति भील उम्र वयस्क निवासी भगोरापाडा जानामेडी तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. कालु पिता भीखा जाति भील उम्र वयस्क निवासी जानामेडी तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक : 26.03.2025

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि, प्रार्थीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया उसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, प्रार्थीगण के निजी स्वामित्व व आधिपत्य व कब्जे काश्त की संयुक्त शामलाती कृषि भूमि खाता संख्या 62 नया, 60 पुराना के खसरा नंबर 249/198 रकबा 0.5989 हैक्टेयर किस्म भूरी कदीम लगानी रू. 0.84, खाता 61 नया, 113 पुराना के खसरा नंबर 296/198 रकबा 0.7042 हैक्टेयर किस्म भूरी कदीम लगानी रू. 0.99, व खाता संख्या 63 नया, 126 पुराना का खसरा नम्बर 415/249 रकबा 0.5989 हैक्टेयर किस्म भूरी कदीम लगानी रू. 0.84 रू. वाके राजस्व ग्राम दशहरा पटवार मण्डल भचडिया, भू-अभिलेख, निरीक्षक क्षेत्र कूपड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण विरासत से कब्जा काश्त होकर कमा रहे है तथा मौसमी फसल प्राप्त कर लगान अदा कर रहे है। वर्तमान में प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि पर गेहूं की फसल कर रखी है। उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का स्वामित्व व मालिकाना हक नहीं है। अप्रार्थीगण की स्वामित्व की आवासीय भूमि प्रार्थीगण की कृषि भूमि से पृथक है।

अप्रार्थी संख्या 1 खेमा के निजी स्वामित्व व आधिपत्य व कब्जे काश्त की संयुक्त शामलात कृषि भूमि खसरा नंबर 718/483 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 721/298/1 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

2430 हैक्टेयर, खसरा नंबर 259/198 रकबा 0.2023 हैक्टेयर एवं अप्रार्थी संख्या 2 परतु के निजी स्वामित्व, आधिपत्य व कब्जे काश्त की संयुक्त शामलाती कृषि भूमि खसरा नंबर 717/483 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नंबर 720/298/1 रकबा 0.3236 हैक्टेयर एवं अप्रार्थी संख्या 3 कालु के निजी स्वामित्व व आधिपत्य व कब्जे काश्त की संयुक्त शामलाती कृषि भूमि खसरा नम्बर 719/483 रकबा 0.1620 हैक्टेयर भूमि वाके राजस्व ग्राम दशहरा, पटवार मण्डल भचडिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कुपड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित है। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि को आवासीय में रूपान्तरण करवाने के पश्चात् मौके पर जमीन को समतीकरण चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल व नाले का निर्माण कर प्लॉटिंग कर बेचान करने की कार्यवाही कर रहे है। अप्रार्थीगण की भूमि प्रार्थीगण की भूमि से लगती हुई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के कृषि भूमि के खसरा नम्बर व रकबा पृथक-पृथक है। उसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण अपनी भूमि से पृथक प्रार्थीगण की भूमि पर अवैध आधिपत्य स्थापित करना चाहते है, जिस हेतु आये दिन प्रार्थीगण की कृषि भूमि में संख्याबल के साथ अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध निर्माण करने हेतु आतुर है। अप्रार्थीगण पेरेन्टल खातेदार नहीं है दिनांक 03.12.2024 को प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 249/198 रकबा 0.5989 हैक्टेयर की कृषि भूमि में अनाधिकृत प्रवेश होकर जेसीबी मशीन से हमारे खेत में बोई हुई गेहूं की को नष्ट करते हुए खुदाई कर दी। प्रार्थीगण के कहने पर भी नहीं माने और प्रार्थीगण के साथ गाली-गलोच कर मरने मारने पर उतारू हो गये। लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गये। पुनः दिनांक 17.01.2025 को वापस अप्रार्थीगण अपने साथ असामाजिक तत्व के लोगो व जेसीबी मशीन जाकर अनाधिकृत प्रवेश कर पुनः अवैध निर्माण कर उसके मूल स्वरूप को परिवर्तित करने हेतु अवैध रूप से खुदाई कर रहे है।

प्रार्थीगण मय अधिवक्ता होकर निवेदन किया कि, प्रार्थीगण के स्वामित्व की कृषि भूमि अप्रार्थीगण द्वारा जबरन अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर मौके पर किसी प्रकार का अवैध निर्माण, आधिपत्य न करें व प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक खेती कार्य में रूकावट पैदा न तो स्वयं करें एवं ना ही अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से ऐसा करावें जबरन प्रवेश नहीं करें एवं किसी भी प्रकार का लड़ाई-झगड़ा नहीं करें न तो स्वयं ऐसा करें एवं न ही किसी अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। इसलिये अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे।

प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 20.01.2025 को अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को एकतरफा स्वीकार अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 25.02.2025 तक जारी की गई तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये।

अप्रार्थीगण बाद तामिल न्यायालय में मय अधिवक्ता उपस्थित आए तथा अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत किया तथा साक्ष्य हेतु (रकबा 7-15 बीघा) भूमि के रूपांतरण होने के साक्ष्य प्रस्तुत किये तथा उसी अनुसार काबिज होना बताया। अप्रार्थीगण के कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 9 अनुसार प्रार्थीगण की 18 बिस्वा कृषि भूमि पूर्व से ही कम होना बताया।

अप्रार्थीगण द्वारा बताया गया कि माननीय न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा) के यहां प्रार्थना पत्र 212 प्रस्तुत करने से पूर्व ही दिनांक 26.12.2024 को तहसीलदार पटवार हल्का भचडिया द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट बनायी गयी जो मौके पर राजस्व रिकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 249/198 रकबा 0.5989 है. खातेदार अनार्डेग, कचरू, गुलाबजी, परतेंग पुत्र लालजी जाति पटेल निवासी ठिकरिया खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। इन्ही खातेदारों के कूल 3 खसरा नम्बर है।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

खसरा नंबर 249/198 रकबा 0.5989 हैक्टेयर व खसरा नंबर 296/198 रकबा 0.7042 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 415/249 रकबा 0.5989 हैक्टेयर कुल रकबा 1.9020 है. (11-15 बीघा) जो एकचक खेत होकर तीनों खसरा नम्बर के चारों तरफ मेड़ बनी हुई है और खातेदार स्वयं काश्त कर रहे हैं । खातेदारो द्वारा उक्त खसरा नम्बरो का आधुनिक भूमि मापप यंत्र इलेक्ट्रॉ टोटल स्टेशन द्वारा भूमि का मापन किया जिसका रकबा 1.7474 है. (10-17 बीघा) आया खातेदार 10-17 बीघा पर कब्जा व काश्त कर रहे है। राजस्व नक्शा अनुसार उक्त खसरा नम्बरान कर कूल रकबा 1.7960 है. (11-02 बीघा) है। उक्त खसरा नम्बर का रकबा मौके राजस्व जमांबन्दी व राजस्व नक्शे के अनुसार रकबे में भिन्नता है। जो रकबा निम्नानुसार है राजस्व जमांबन्दी अनुसार 1.9020 है. (11-15 बीघा) मौके के अनुसार रकबा 1.7474 है. (10-17 बीघा) व राजस्व नक्शे के अनुसार रकबा 1.7960 है. (11-02 बीघा) है। उक्त खसरा नम्बर 249/198 रकबा 0.5989 है. के दक्षिण दिशा की ओर स्थित खसरा नम्बर 259/198 रकबा 0.2023, 740/719 रकबा 0.0600 है., 733/717 रकबा 0.1456 है.,734/717 रकबा 0.0162 है. ,735/720 रकबा 0.2544 है., 736/720 रकबा 0.0692 व 721/298 रकबा 0.2430 है. कुल किता 11 कुल रकबा 1.2545 (7-15 बीघा) जमांबन्दी अनुसार दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि एकचक होकर चारों तरफ नाली व मौके पर पड़त भूमि है। उक्त भूमि का भी सीमाकंन आधुनिक भूमि मापन यंत्र इलेक्ट्रानिक टोटल स्टेशन द्वारा किया गया जिसका कुल रकबा 1.2545 है. (7-15 बीघा) मौके के अनुसार है। राजस्व नक्शे के अनुसार उक्त खसरा नम्बर का कुल किता 11 कुल रकबा 1.0906 है. (06-14 बीघा) है। उक्त खसरा नम्बर का राजस्व जमांबन्दी व राजस्व नक्शे के अनुसार रकबे में भिन्नता है। राजस्व जमाबंदी के अनुसार रकबा 1.2545 है. (7-15 बीघा) व राजस्व नक्शे के अनुसार रकबा 1.0906 है. (6-14 बीघा) है। जबकि राजस्व जमाबंदी व मौके के अनुसार रकबा समान है। राजस्व जमाबन्दी के अनुसार रकबा 1.2545 है. (7-15 बीघा) है। व मौके के अनुसार रकबा 1.2545 है. (07-15 बीघा) जो समान है।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। पक्षरान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजो, तहसील बांसवाड़ा की मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने के उपरांत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया जाता है। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को सुनाया गया।

(रजनी माधीवाल)

उपखण्ड अधिकारी

बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)